चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

प्रबन्ध मण्डल की 158वीं बैठक

का कार्यवृत्त

दिनाँक : 18.01.2020

दिन : शनिवार

समय : प्रातः 12:00 बजे

स्थान : भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान,
रायबरेली रोड, लखनऊ के आडीटोरियम

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
प्रबन्ध मण्डल की 158वीं बैठक की उपस्थिति

दिनॉक : 18.01.2020

सभास्थल : भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था, रायबरेली रोड, लखनऊ

समय : अपरान्ह 12:00 बजे

उपस्थिति :–

1.	**डा0सुशील सोलोमन,** कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल	अध्यक्ष
2.	श्री **मासूम** अली सरवर, **विशेष सचिव**, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधन विभाग	सदस्य / प्रतिनिधि प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा
3.	**प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि** **(क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ)**	सदस्य / प्रतिनिधि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा
4.	**डा0 ए0 पी0 श्रीवास्तव,** संयुक्त निदेशक कृषि, लखनऊ	सदस्य / प्रतिनिधि निदेशक कृषि
5.	**श्री अर्जुन,** एफ0डी0ओ0, पशुपालन	सदस्य / प्रतिनिधि निदेशक पशुपालन
6.	**श्री** अभिजीत **सिंह सांगा**, ओम भवन, सूबेदार नगर, बिठूर, कानपुर नगर।	सदस्य
7.	**डा0 हरपाल सिंह, 172 / 18, इन्दिरा भवन, दीप चन्द्र** कालोनी, द्वारिकापुरी, मुजफ्फरनगर।	सदस्य
8.	**डा0 ए0डी0 पाठक,** निदेशक, भारतीय गन्ना संस्थान, लखनऊ	सदस्य
9.	**श्री मनमोहन मिश्रा,** अर्थ नियन्त्रक, सचिव प्रबन्ध मण्डल	सचिव

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
प्रबन्ध मण्डल की 158वीं बैठक का कार्यवृत्त

मद सं0	विवरण	कार्यवृत्त
1	प्रबन्ध मण्डल की दिनॉक 8.11.2019 को सम्पन्न हुयी आकस्मिक बैठक की कार्यवृत्त का अनुमोदन।	म0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
2.	प्रबन्ध मण्डल की 157वी बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त एवं आकस्मिक बैठक का कार्यवृत्त एवं कृत कार्यवाही	प्रबन्ध मण्डल की 154वी बैठक मद संख्या–5 पर श्री वीर सेन यादव की जगह श्री करण सिहं पटेल को अध्यक्ष नामित किया गया। समिति के संयोजक निदेशक प्रसार को यह निर्देश दिये गये कि वे समिति के अध्यक्ष सदस्य से समन्यवय स्थापित कर एक माह के अर्न्तगत प्रक्षेत्रों की स्थलीय निरीक्षण कर आख्या अनिवार्य रूप प्रस्तुत करेंगे। समयवद्व कार्यवाही न होने की दशा में निदेशक प्रसार व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जायेगें। **154वी बैठक मद संख्या 6** प्रबन्ध मण्डल द्वारा निदेशक प्रसार व इटावा के के0वी0के0 अध्यक्ष को एक माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया और यह निर्देश दिये गये कि जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन इटावा से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर अवैध कब्जे तत्काल हटाये जायें। अगली बैठक में अनुपालन आख्या अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाये। अन्यथा की दशा में निदेशक प्रसार और के0वी0के अध्यक्ष इटावा व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जायेगे। **155वी बैठक अन्य निर्देश** **बिन्दु संख्या –1** माननीय सदस्य डा0 हरपाल सिहं जी बैठक में उपस्थित थे। **बिन्दु संख्या–2** प्रबन्ध मण्डल द्वारा अभियंत्रण विभाग के प्रभारी को निर्देश दिये गये कि समस्त निर्माणाधीन कार्यो का स्थलीय निरीक्षण करते हुए भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की आख्या एक माह के अर्न्तगत कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किये जाये। कुलपति द्वारा

निरीक्षण आख्या का अध्ययन करते हुए एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट अगली प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत की जायेगी। जो कार्यदायी संस्था समय से कार्य न कर रही हो अथवा जिसका कार्य मानक के अनुरूप व संतोष जनक न हो उन्हे ब्लैक लिस्ट करने के लिए शासन को संन्दर्भित किया जाये।

बिन्दु संख्या –3

समिति के अध्यक्ष डा0 ए0डी0 पाठक से यह अपेक्षा की गयी कि 15 कार्य दिवस के अर्न्तगत बैठक सुनिश्चित कराकर विश्वविद्यालय के प्राध्यापको की वरिष्ठता सूची नियमानुसार निर्धारित की जायें। समिति के सयोजक तत्काल कार्यवाही करें।

156वी बैठक के अन्य निर्देश।

बिन्दु संख्या –2

प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में विभिन्न श्रेणी के कुल कितना बीज मात्रा कुन्तल में उत्पादित किया गया। कितना बीज विकय हुआ। छानन में कितनी मात्र निकली बीज उत्पादन का लागत मूल्य क्या था। बीज बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त हुयी। छानन की निलामी से क्या राशि प्राप्त हुयी। लाभ–हानि की स्थिति क्या रही। इसकी वर्षवार प्रत्येक बिन्दु की सूचना 15 दिन के अन्तर्गत तैयार कराकर कुलपति महोदय के समक्ष निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाय। कुलपति महोदय द्वारा एक विश्लेष्णात्मक टिप्पणी अगली प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत की जाय। समयबद्ध रूप में वास्तविक सूचना उपलब्ध न कराने की दशा में निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र उत्तरदायी माने जायेगे।

बिन्दु संख्या –5

विधिक अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये। यदि एक माह के अर्न्तगत प्रबन्ध मण्डल के निर्देशो का पालन नही किया जाता है तो इनके विरूद्व समुचित कार्यवाही का प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

बिन्दु संख्या –8

प्रबन्ध मण्डल द्वारा कुलपति को अधिकृत करते हुए यह अपेक्षा की गयी कि अब तक समस्त समितियों की रिपोर्ट एक माह के अर्न्तगत प्राप्त कर समुचित आदेश पारित करे। जिन समितियो के अध्यक्ष द्वारा समयबद्ध रिपोर्ट न प्रस्तुत की गयी हो उनके विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जाये एवं आगामी बैठक में अनुपालन आख्या प्रस्तुत हो।

157वीं बैठक मद संख्या–9

प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि आरक्षण का रोस्टर रजिस्टर सही तरीके से नियमानुसार तैयार किया जाये। यह एक सवैधानिक व्यवस्था है। इसमे किसी प्रकार की अनियमितता अथवा रोस्टर से छेड़–छाड़ की दशा में निदेशक प्रशासन एवं मानिटरिंग व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जायेगे। विधिक प्रकिया एवं सवैधानिक व्यवथाओ के अनुरूप समय–समय पर जारी शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये।

157वीं बैठक मद संख्या–14

विश्व विद्यालय प्रशासन मुख्यालय पर कार्यरत समानकार्य समानवेतन के कार्मिको की तैनाती के सम्बन्ध में रोटेशन प्रकिया का पालन करे। पारदर्शी तरीके से यह निर्धारित किया जाये कि जिन कार्मिकों का कार्यकाल तीन साल से उपर हो चुका है उन्हे फिल्ड में भेजा जाये और फिल्ड में कार्यरत योग्य कर्मचारियों की योग्यता और क्षमता के अनुसार मुख्यालय में तैनात करने पर विचार किया जाये। यह कार्य रोटेशन के आधार पर पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए किया जाये।

157वीं बैठक मद संख्या–15

पूरक –5

इस सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का संज्ञान लिया गया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा एक कोनोलाजिकल रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर शासन को प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है अर्थात शासनादेश दिनांक 03.04.2014 के पूर्व क्या

		प्रकिया अपनायी जा रही थी। 1998 की अधिसूचना क्या थी। बोर्ड द्वारा उसके संशोधन का प्रस्ताव कब परित किया गया। बोर्ड द्वारा पारित संशोधन अधिसूचना क्या जारी हुई। दिनांक 03.07.2014 के शासनादेश जारी होने के बाद वि0वि0 के द्वारा क्या कार्यवाही की गयी। समस्त तथ्यों का सम्मिलित करते हुए एक तथ्यात्मक रिपार्ट शासन को तत्काल प्रस्तुत की जाये। **अन्य निर्देश के बिन्दु संख्या –6** अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। बिन्दु संख्या 6 के उप बिन्दु सख्या 3–4 की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह अपेक्षा की गयी की शासन स्तर से शीघ्र इस प्रकरण में प्रभावी निर्णय लिया जाये।
3	कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक/ समकक्षीय से सह–प्राध्यापक/ समकक्षीय एवं सह–प्राध्यापक/ समकक्षीय से प्राध्यापक/ समकक्षीय पदनाम दिये जाने हेतु सम्पन्न कराये गये साक्षात्कार के चयन समिति की संस्तुतियों के अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव।	प्रबन्ध मण्डल की आकस्मिक बैठक 08.11.2019 की मद संख्या 03 पर प्रस्तुत प्रस्ताव और उस पर लिये गये निर्णय के अवलोकनोपरान्त मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रत्येक बिन्दु पर गहनता से चर्चा की गयी। इस सम्बन्ध में नवीनतम शासनादेश 30.12.2019 पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग द्वारा यह अवगत कराया गया। कुल 38 महानुभावों का साक्षात्कार हुआ था। प्रबन्ध मण्डल द्वारा निम्न निर्णय लिया गया। 1. च0शे0आ0 कृषि एवं प्रौ0 वि0 वि0 कानपुर के एक्ट 1958 के अध्याय–XIII के (4)(d) के व्यवस्था के अन्तर्गत नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षकों को ही यू0जी0सी0 व्यवस्था के अन्तर्गत कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकिया के तहत जिन शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति हुई है उन्हे CAS के तहत कराये गये साक्षात्कार के लिफाफे खोल दिये जाये। क्योकि यू0जी0सी वेतनमान मौलिक रूप से नियुक्त शिक्षकों पर ही अनुमन्य होता है। नान यू0जी0सी0/पदनाम के जिन वैज्ञानिकों का चयन 4–डी की प्रकिया के अनुसार हुआ है। उनके पदनाम शासन/आई0सी0ए0आर0 द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही मान्य होगे। उक्त आदेश तत्कालिक प्रभाव अर्थात 18.01.2020 से लागू होगा।

		2. अध्याय–XIII के (4)(e) की व्यवस्था के अन्तर्गत नियु. एवं कार्यरत कार्मिको पर कैरियर एडवांसमेंट स्कीम की व्यवस्था लागू नहीं होती है। अध्याय–XIII के (4)(e) के तहत जिनकी नियुक्ति हुई हो उनके लिफाफे अभी खोले न जाये। शासन द्वारा अपने पत्र दिनांक 22 अक्टूबर 2019 एवं दिनांक 5.12.2019 से महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली से सहमति/मार्गदर्शन/ निर्देश माँगा गया है। जो अभी अप्राप्त है। आई0सी0ए0 आर0 से शासकीय पत्र का उत्तर/मार्ग दर्शन/ सहमति प्राप्त होने के एक सप्ताह के उपरान्त बोर्ड की बैठक आहूत की जायेगी और उसमें 4–ई के तहत नियुक्त वैज्ञानिकों के लिफाफों के सम्बन्ध में उचित निर्णय लिया जायेगा। 3. प्रबन्ध मण्डल के निर्देशानुसार निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग द्वारा 4–डी और 4–ई की प्रकिया के तहत चयनित शिक्षकों/वैज्ञानिकों की प्रमाणित सूची स्वः हस्ताक्षर से प्रस्तुत की गयी है। जो कार्यवृत्त के संलग्नक के रूप में पढी जायेगी। (सूची पृष्ठ सं0 11 से 14 तक संलग्न है।) यह अनुमोदन तत्कालिक प्रभाव से प्रोविजनली अनुमन्य होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबन्ध मण्डल को अभिलेखों का निरीक्षण करने एवं नियमानुसार विधि सम्मत निर्णय लेने का अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में कालान्तर में यदि शासन द्वारा कोई अन्य निर्देश पारित किये जाते है तो वह सर्वोपरि व सर्वमान्य होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा शासकीय निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही की जायेगी।
4	राज्य कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्विवद्यालय के शिक्षकों/समकक्षीय संवर्ग को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतनमान का पुनरीक्षित सम्बन्धी निर्गत शासनादेश सं0–359/67–कृशिअ–19–1500(16) दिनांक 09.03.2019 को विश्वविद्यालय में प्रभावी किये जाने एवं विश्वविद्यालय नियम परिनियम में	विशेष सचिव कृषि शिक्षा अनुसंधान के द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में समकक्षीय संवर्ग पर निर्णय लेने हेतु प्रकिया शासन स्तर पर विचाराधीन है। अतः प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में शासकीय निर्देशों की प्रतीक्षा जाये।

	समावेशित किये जाने विषयक प्रस्ताव।	
5.	विश्वविद्यालय में कार्यकुशलता एवं पारदर्शिता के दृष्टि गत 05 बिन्दु का प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध मण्डल के अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत।	मद संख्या 5 पर प्रस्तुत बिन्दुवार पाँचों प्रस्तावों पर मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गयी। प्रस्तावों को अनुमोदित करते हुए प्रत्येक बिन्दु पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। बिन्दु संख्या 1, 2 व 3 पर कार्यवाही निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग स्तर से एवं बिन्दु संख्या 4 पर कार्यवाही कुल सचिव के स्तर से व बिन्दु संख्या 5 पर कार्यवाही विधिक प्रकोष्ठ द्वारा की जायेगी। बिन्दु सं0–5 की सूची प्रस्तुत की जाय। स्टे पर कार्यरत शिक्षकों/वैज्ञानिकों/कर्मचारियों का पूरा विवरण (जिसमे याचिका संख्या काउन्टर लगाने का दिनांक, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की तिथि, केस की वर्तमान स्थिति आदि सभी बिन्दु समाहित होगे) अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय। प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि दिनांक 1.4.2020 से अनिवार्य रूप से सभी अनुभागों/प्रक्षेत्रों/फार्मो के कार्मिकों के वेतन बायोमैट्रिक्स उपस्थिति के आधार पर ही अनुमन्य होगे। एक माह के अन्दर सभी आवश्यक व्यवस्थाये प्रत्येक बिन्दु हेतु सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी निर्देश दिये गये कि वि0वि0 अपनी समस्त प्रकार की सम्पत्तियो का जियो मैपिंग/जियो टैगिंग के साथ डाक्यूमेंन्टेशन भी सही तरीके से पूर्ण करा लिये जाये। अर्थात यह ध्यान रखा जाये कि किसी भी सम्पत्ति का विवरण छूटने न पाये।
6.	प्रबन्ध मण्डल की 154वीं बैठक में मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा बैलेंस शीट तैयार कराने के सम्बन्ध में निम्न बिन्दु मा0 प्रबन्ध मण्डल के अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत।	वित्तीय वर्ष 2008–09 से लेकर 2013–14 तक की बैलेन्सशीट का अवलोकन किया गया। प्रबन्ध मण्डल ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त कि जो कार्य 2008–09 से लम्बित था वो अब पूर्ण होने की कगार पर है। प्रबन्ध मण्डल ने वि0वि0 द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये पत्रों एवं संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को दिये गये निर्देशो का भी अवलोकन किया गया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये की सभी यूनिटों का 2008–09 से लेकर अद्यतन समेकित आडिट रिपोर्ट प्राप्त कर बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये। प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि जो भी अधिकारी/कर्मचारी आडिट द्वारा मागे

		गये अभिलेख नही उपलब्ध कराता है तो उसके विरूद्ध समुचित कार्यवाही का प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। आडिट फर्म को यथाशीघ्र लम्बित अवशेष वर्षो की बैलेंश शीट पूर्ण करने और प्रत्येक यूनिट का वर्षवार समेकित आडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। फर्म का अन्तिम/फाइनल भुगतान सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने पर ही किया जाय।
7.	उद्यान विज्ञान विभाग के फल बगीचों एवं नर्सरियों से जो आय प्राप्त होती है उसका 10 प्रतिशत प्रतिमाह विभाग के गार्डेन एवं नर्सरी इत्यादि के सुदृणीकरण हेतु खर्च मा0 प्रबन्ध मण्डल के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्ताव।	म0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
8.	कृषि महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी कैम्पस, जमुनाबाद की स्थापना हो चुकी है। पठन–पाठन का कार्यक्रम प्रारम्भ हो चुका है, महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं को पढाने हेतु गेस्ट फैकेल्टी M.Sc.(Ag.) एवं Ph.D. योग्यता धारकों का फिक्स वेतन क्रमशः रू0 25,000/– तथा रू0 30,000/– प्रतिमाह प्रदान करने विषयक प्रस्ताव।	अनुमोदित किया गया। निर्देश दिये गये कि M.Sc.(Ag.)के स्थान पर M.Sc.(Ag.) (NET) पढ़ा जाये। शेष अनुमोदित।
9.	मा0 प्रबन्ध मण्डल की 157वीं बैठक दिनांक 21.9.2019 के मद सं0–09 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त नवीन तथ्यों को भी समावेशित कर विधि अनुरूप कार्यवाही किये जाने विषयक प्रस्ताव।	मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। **प्रस्तर –1** पर जांच कराकर दायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिये गये। **प्रस्तर– 2** पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। **प्रस्तर– 3** पर यह अपेक्षा की गयी कि विज्ञापन संख्या 1/2018 पर शासकीय नियमों के अनुरूप तत्काल कार्यवाही कुलसचिव/कुलपति द्वारा सुनिश्चित की जाये। विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक एवं प्रशासनिक जो पद शासन द्वारा सृजित एवं रिक्त है उन्हे भरने की तत्काल कार्यवाही की जाये। पदों को भरने में शासकीय नियमों तथा समय–समय पर जारी

		शासकीय दिशा निर्देशो के अनुसार कार्रवाई की जायें। प्रस्तर–1 एवं 2 पर निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग प्रभावी कार्यवाही कर आख्या अगली बैठक में प्रस्तुत करेगें।
10.	कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के रिसीविंग सब–स्टेशन के निर्माण हेतु चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के शाक भाजी शोध प्रक्षेत्र, कल्यानपुर की 3000 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए शासकीय निर्देश प्राप्त करने की अपेक्षा की गयी है।
11.	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।**	
पूरक–1	कृषि महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी कैम्पस, जमुनाबाद की स्थापना हो चुकी है। पठन–पाठन का कार्यक्रम प्रारम्भ हो चुका है। पठन–पाठन कार्यक्रम को सुचारू रूप से सम्पादन हेतु छात्र छात्राओं के शैक्षणिक भ्रमण आदि के उपयों हेतु एक 55सीटर बस (टाटा) तथा छात्रों की चिकित्सा व्यवस्था के लिये एक एम्बुलेन्स एवं अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय लखीमपुर खीरी (कैम्पस) के आवागमन हेतु एक वाहन (इनोवा) क्रय करने हेतु प्रस्ताव।	प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि प्रथमतया यह देख लिया जाये कि आई0सी0ए0आर0 द्वारा लखीमपुर महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रो की चिकित्सा सुविधा हेतु एक एम्बुलेन्स तथा छात्रों की शैक्षिक भ्रमण हेतु एक बस (टाटा) की व्यवस्था करायी जाय। वरीयता के अनुसार एम्बुलेन्स, स्कूल बस तदोपरान्त डीन के स्टाफ के प्रयोगार्थ एवं वाहन जिसकी धनराशि रू0 10.00 लाख से कम हो की सैद्धान्तिक सहमति दी गयी है। आई0सी0ए0आर0/अन्य स्रोतो से व्यवस्था न होने की दशा में शासन से धन की व्यवस्था करायी जाये।
पूरक –2		डा0 एस0के0 सिहं को रू0 35000.00 प्रति माह मानदेय पर नियमित नियुक्ति अथवा तीन माह होने तक जो भी पहले हो के अनुसार अनुमोदन किया गया।
	अन्य निर्देश	154वी बैठक, 155वी, व 156वीं बैठक के कतिपय प्रकरणों के अनुपालन अत्यन्त विलम्ब से किया गया है। प्रबन्ध मंण्डल के निर्देशों का समयबद्व अनुपालन न करने के सन्दर्भो का सज्ञान लेते हुए प्रबन्ध मण्डल द्वारा खेद व्यक्त किया गया है। (अ) यह निर्णण लिया गया यदि किसी प्रकरण में प्रबन्ध मण्डल के निर्देशो पर समुचित कार्यवाही किसी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा तत्परता से समयबद्व नही कं

जाती है तो ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया। निर्देश दिये गये कि ऐसे प्रकरणों की सूचना आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाए। निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग के स्तर से इसका प्रशासनिक आदेश भी निर्गत किया जाय।

(ब) चर्चा के दौरान विशेष सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान द्वारा यह अवगत कराया गया कि शासकीय निर्देशों और शासनादेश के विपरीत निर्णय लेने के कारण ही न्यायिक विवाद व अन्य समस्याये उत्पन्न हुई है। 2004 के शासनादेश में यह स्पष्ट है कि जिन प्रकरणों में वित्तीय उपाशय निहित हो उन प्रकरणों में बिना शासकीय अनुमति के कोई निर्णय न लिया जाये। सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में कोई भी ऐसा प्रकरण जिसमें कोई भी वित्तीय उपाशय निहित हो उस परं निर्णय शासकीय अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही लिया जाये।

(स) विशेष सचिव कृषि शिक्षा अनुसांधान के द्वारा निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग को यह निर्देशित किया गया कि शासनादेशों का अनुपालन करते हुए तत्काल शासन को अवगत कराया जाये।

(द) मा0 विधायक अभिजीत सिंह सांगा का पत्र दिनांक 10.1.2020 तथा मा0 विधायक श्री करण सिंह पटेल का पत्र दिनांक 10.1.2020 प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा मा0 सदस्य गण के पत्र के साथ संलग्न श्री हरेश प्रताप सिंह के प्रत्यावेदन पर चर्चा कि गयी निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग के द्वारा यह बताया गया कि श्री राज्यपाल महोदय के आदेश दिनांक 24.12.2014 के कम में श्री हरेश प्रताप सिंह को ग्रेड पे रू0 10,000/- दिनांक 18.7.2007 से स्वीकृत किया जा चुका है। इनके द्वारा मात्र पदनाम की याचना की गयी है। प्रबन्ध मण्डल द्वारा श्री हरेश प्रताप सिंह के प्रत्यावेदन दिनांक 26.11.2019 तथा उसके साथ मा0 सदस्य गण का पत्र शासन को

		यथाशीघ्र अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है। (य) प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय में विधिक अनुभाग के कार्यो पर विशेष सर्तकता बरतने के निर्देश दिये गये है। यह निर्देश दिया गया कि जितनी भी लम्बित यचिकायें है उन सभी में शासकीय नियमों के अनुरूप स्पष्ट काउन्टर लगाया जायें। यदि एकल पीठ का कोई निर्णय विश्वविद्यालय हितों/शासकीय नियमों के प्रतिकूल हुआ हो तो उसे डबल बैंच में तत्काल चुनौती दी जाय। महत्वपूर्ण प्रकरणों में विधिक सलाह भी प्राप्त की जाय। इस कार्य हेतु विश्वविद्यालय विधिक सलहाकार हेतु किसी योग्य अधिवक्ता की सेवाये आवद्ध कर सकता है। जिसका उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण प्रकरणों मे विधिक परार्मश देना, वि0 वि0 द्वारा दाखिल किये जाने वाले समस्त काउन्टरों का परीक्षण करना, प्रत्येक सप्ताह लम्बित समस्त वादो की न्यायिक समीक्षा करना, अपने महत्वपूर्ण सुझाव जो शासकीय नियमों के अनुरूप और विश्वविद्यालय हित में हो उन्हे कुलपति/सचिव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इस कार्य हेतु अधिकतम 25000/– प्रतिमाह मानदेय दिया जा सकता है। विश्वविद्यालय के कुलपति विश्वविद्यालय के पैनल के अधिवक्ताओं में से योग्यता के आधार पर सलाहाकार चयन की कार्यवाही कर सकते है। तीन माह के उपरान्त विधिक सलाहाकार के कार्यो की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषजनक अथवा मानक के अनुरूप न पाये जाने पर उन्हे उस पद से विरत किया जा सकता है।

अन्त में बैठक मा0 अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों को सधन्यवाद सम्पन्न हो गयी।

(मनमोहन मिश्रा)
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

अनुमोदित
(डा0 सुशील सोलोमन)
कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल